फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम तहसीलदार बस्सी व अन्य

केस संख्या 83/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

| नांक आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 0.10.2024 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि तहसीलदार बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री कार्तिक लाटा आर.टी.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।<br><br>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।<br><br>प्रार्थी ने तहसीलदार बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 19/2023 व उनवानी नरेश बनाम लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री कार्तिक लाटा आर.टी.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।<br><br>तहसीलदार बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री कार्तिक लाटा आर.टी.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।<br><br>(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर (ग्रामीण) | |

Scanned with OKEN Scanner